Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. V, Issue No. X, April-2013, ISSN 2230-7540

महिला उत्पीड़न के उन्मूलन में नैतिक शिक्षा की भूमिका

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. V, Issue No. X, April-2013, ISSN 2230-7540

महिला उत्पीड़न के उन्मूलन में नैतिक शिक्षा की भूमिका

Priya Ranjan*

Research Scholar, Sociology, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

सारांश:- *महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न बहुत पुराना सामाजिक मुद्दा है जिसकी जड़े आज समाज काफी फैल चुकी है। उत्पीड़न की घटना समाज में आम हो चुकी है। बर्बर सामूहिक, बलात्कार, दफ्तर में यौन उत्पीड़न तेजाब फेकने जैसी अनेक घटनाओं के रूप में महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न उजागर होती रही है। इसका ताजा उदाहरण 16 दिसम्बर 2012 निर्भया गैंगरेप केस। 23 साल की लड़की से किये गये सामूहिक बलात्कार ने देश को झकझोर कर रख दिया था। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में जनता नियमों में बदलाव की मांग करती हुई सड़को पर उतर आई। ऐसी घटनाओं में वृद्धि होने के कारण समाज में महिलाएँ अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी है।*

प्रमुख शब्द:- *उत्पीड़न, उन्मूलन, नैतिक शिक्षा, क्रूरता, सदगुण*

----------X----------

प्रस्तावना:

आज महिलाएँ हर तरह के सामाजिक, धार्मिक प्रान्तिक परिवेश में उत्पीड़न का शिकार हुई है। महिलाओं को समाज के द्वारा दी गई हर तरह की क्रूरता को सहन करना पड़ता है चाहे वह घरेलू हो या फिर शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक। महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न को बड़े स्तर पर इतिहास के पन्नों में साफ देखा जा सकता है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले बहुत सुखद थी पर उसके बाद समय के बदलने के साथ-साथ महिलाओं के हालातों में भी काफी बदलाव आता चला गया। वर्तमान समय में महिला उत्पीड़न के स्वरूप में भी बदलाव आया है। शिक्षा स्तर बढ़ने के बावजूद भारतीय समाज के लिए समस्या गम्भीर तथा जटिल बन गई है। महिलाओं के विरूद्ध होती उत्पीड़न के पीछे मुख्य कारण है पुरूषवादी सोच, कमजोर कानून, राजनीतिक संरचना में पुरूष हावी होना तथा लम्बे समय तक न्यायिक प्रक्रिया का चलना इन सभी कारणों ने महिलाओं की उत्पीड़न की घटना को प्रोत्साहित किया है। उत्पीड़न की घटना को रोकने के लिए हमें सरकारी सामाजिक तथा नैतिक सभी क्षेत्रों में प्रयास करना होगा शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता तथा चेतना पैदा करनी होगी महिलाओं को उसके अधिकार तथा दायित्व का बोध कराना होगा। समाज में नैतिक शिक्षा के माध्यम व्यक्तियों के दृष्टिकोण को बदलना होगा उन्हें पुरूषवादी सोच में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना होगा। नैतिकता अच्छे और बुरे कार्य में भेद बताता है तथा व्यवहारों को नियंत्रित भी करता है। इसलिए समाज में शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा का भी प्रसार तथा प्रचार होना चाहिए ताकि बच्चों सदगुणों का विकास हो तथा बुरो व्यवहारों पर नियंत्रण हो महिलाओं की सुरक्षा और समता के लिए उठाया गया हमारा प्रत्येक नैतिक कदम किसी न किसी हद तक महिलाओं की दशा सुधारने में कारगर साबित हो। इसमें कोई दो राय नहीं है किन्तु सामाजिक सुधार की गति इतनी धीमी है कि इसके यथोचित परिणाम स्पष्ट रूप से सामने नही आ पाते। हमें और भी द्रुत गति से इस क्षेत्र में जन-जागृति और नैतिक शिक्षा पहुँचाने का कार्य करने की आवश्यकता है नैतिक शिक्षा सभी दोषो से घुटकारा दिलाने का आधारित साधन है।

महिलाओं की स्थितिकाल क्रमेण बदलती गई और उत्पीड़न की घटना में वृद्धि होती गई। वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी। उनको समाज और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पी. एन. प्रभु के शब्दों में जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध या स्त्री-पुरूष में कोई विशेष भेद नही था और युग में दोनों की सामाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी। धर्मशास्त्र काल मनुस्मृति को व्यवहार की कसौटी मानकर वैदिक नियमों को तिलांजली दे दी गयी। इस काल में महिलाएँ सामाजिक और धार्मिक संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी। मध्यकालीन काल इस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। भारतीय संस्कृति की मुगलों से रक्षा करने के लिए ब्राहमणों ने कड़े नियमों का प्रावधान किया। महिलाएँ अपने अस्तित्व के लिए पूर्णरूपेण पुरूषो पर निर्भर हो गयी। स्तंत्रता पूर्व काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी इस काल में भारत में

www.ignited.in

अंग्रेजो का शासन था। यद्यपि इसकाल में अनेक सुधार आन्दलनों ने महिलाओं की उत्पीड़न तथा स्थिति को सुधारने का कार्य किया यथा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाई। सन् 1929 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का संगठन बनाया गया। इस संगठन के संगठित रूप से अपना कार्य प्रारंभ किया जिसके प्रमुख लक्ष्य निम्न थे।

1. महिला शिक्षा के प्रसार के लिए सक्रिय कार्य करना।
2. महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों को प्रदान करना।
3. महिलाओं की नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने की कोशिश करना।
4. समाज में नैतिकशिक्षा परबल देना तथा दहेज, बाल-विवाह, बहु-विवाह से संबंधित कुरीतियों को दूर करना।
5. समाज में नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार कर लोगों में जागरूकता व चेतना पैदा करना।

सामाजिक आन्दोलन के पश्चात् अंग्रेजो द्वारा अनेक सुधार किये गये जिससे महिलाओं की उत्पीड़न में कमी आयी। यथा

1. सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829
2. हिन्दू विधवा पुन विवाह अधिनियम-1856
3. बाल-विवाह निरोधक अधिनियम-1929
4. हिन्दू महिलाओं का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम-1937
5. अलग रहने तथा भरण-पोषण हेतु महिलाओं का अधिकार अधिनियम-1946
6. विशेष विवाह अधिनियम-1954
7. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
9. हिन्दू नाबालिक तथा संरक्षता अधिनियम 1956
10. महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956
11. दहेज निरोधक अधिनियम 1961

स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की उत्पीड़न में तुलनात्मक रूप से कमी आयी है पर वर्तमान समय में उत्पीड़न के स्वरूप में बदलाव आया है। महिलाएँ अपने घर में भी असुरक्षित महसूस कर रही है जो उनके लिए सुरक्षित स्थल था आखिर ऐसी घटना होने के क्या कारण हो सकते है। एक ओर हम देखते है हमारे शैक्षिक स्तर निरंतर बढ़ रहे है। हम तकनीकी रूप से दक्ष हो रहे है। पर नहीं महिला उत्पीड़न की घटना भी बढ़ रही है। समाज के इस बदले चरित्र का सूक्ष्म अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि समाज में नैतिक शिक्षा का अभाव है लोग भौतिकवादी सोच से जकड़े हुए है। वे अपने भोग-विलास के लिए किसी भी कार्य को कर सकते है चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक मानवीयता व नैतिकता आज सांसे गीन रहा है, कड़ाह रहा है। हमारा समाज नैतिक पतन के दौर से गुजर रहा है। शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा को उद्देश्य होता है आदमी को सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाना, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाना, लेकिन जब पढ़ा लिखा वर्ग अपहरण, हत्या, लूट, दुष्कर्म, चोरी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होता है तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते है कि आखिर हमारी यह शिक्षा प्रणाली कैसा शिक्षित वर्ग तैयार कर रहे है जिनमें मानवीयता, संवेदना और नैतिकता का नितांत अभाव है। उच्च शिक्षित होने का दंभ भरने वाले समाज में दैत्यवृति, निर्दयता और लालच आखिर इस कदर क्यो हावी हो रहे है। हम रोज महिलाओं का उत्पीड़न संबंधी खबरो से व्यथित हो पाते है, उत्पीड़न संबंधी अपराध के लिए कठोरतम सजा का प्रावधान है, कानून और पुलिस की सख्ती है लेकिन फिर भी समाज में अपराध और उत्पीड़न रूकने की बजाय बढ़ रहे है। ऐसी दशा में हमें उन अन्य बातो पर विचार करना होगा जो उत्पीड़न व अपराध को रोकने में सहायक हो। इस स्थिति में शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा के इससे संबंध को देखा जाना चाहिए।

अध्ययन का औचित्य:

नैतिक शिक्षा स्वच्छ व उत्कर्ष व्यवस्था का अभिन्न अंग है। यह समाज एवं राष्ट्र के संस्कृति का पोषक है। यह व्यवस्था का दर्पण है यथा कल्याणकारी व विकसित व्यवस्था के प्राणवायु हैं। वत्र्तमान के भौतिकवादी परिवेश में संचार तंत्रों का बोलबाला है और आदर्श यंत्रवत प्रगति है। जहाँ मानवीयता व नैतिकता का दमन किया जाता है और व्यक्ति कुण्ठा के अभिषाप में जीवन बसर करते हैं। भारतीय संस्कृति के गौरवमयी इतिहास एवं विरासत जिसमें महिला को देवी का स्थान प्राप्त है उस मूल्य का प्रत्येक दिन चिर हरण हो रहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति जो प्रेरणा का स्रोत होती थी आज सामाजिक अव्यवस्था का कोपभाजन बन चुके हैं। सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य को व्यक्तिगत तुष्टि के लिए आहूतियाँ दी जा

रही है, जिसमें समाज में उत्पीड़न की आंधी चल पड़ी है। जो विभिन्न रूपों में परिलक्षित हो रही है।

सरकारी स्तर पर महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कई नियम बन चुके हैं पर कानून की व्याख्या करने वाले उसके कुछ कमीं को निकालकर उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को कानूनी शिकंजा से बचा लेते हैं। परिणामस्वरूप उस प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ता है एवं अन्य व्यक्ति में भी उत्पीड़न के प्रति डर समाप्त हो जाती है जो उत्पीड़न की घटना को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। उत्पीड़न एक ऐसा घिनौना व्यवहार है जो महिलाओं को परेशान और विचलित तथा उसकी इज्जत को तार-तार कर देता है।

उत्पीड़न हमारे समाज के विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला ऐसा काम है जो समाज को दूषित करता है। यह मानवता के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में से एक है। इस अपराध से किसी भी आयु वर्ग के लोग अछूते नहीं है। वत्तमान परिवेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अधिकतर महिलाओं में जागरूकता का अभाव होने के कारण इस तरह के मामलों की शिकायत ही नहीं की जाती है। दुनियाभर में महिला उत्पीड़न के मामलों के आधार पर भारत का स्थान चैथा है। भारत में हर घंटे में करीब तीन घटनाएँ महिला उत्पीड़न की होती है। भारत में महिला उत्पीड़न हिंसा से जुड़े केसों में होती वृद्धि को कम करने के लिए भारत सरकार जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन) बिल लाई। कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय बोचहाँ की घटना राजकीय आंबेदकर आवासीय बालिका ने, विद्यालय रजबाड़ा मुशहरी की घटना जिनमें भी बौधिक चिन्तक को सोचने के लिए बाध्य किया है। महिला उत्पीड़न उन्मूलन से संबंधित कोई अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर या सार्वजनिक स्तर पर नहीं हुआ है, और न महिला उत्पीड़न को किस प्रकार उन्मूलन किया जाए, इसके लिए प्रयास किया गया है। यथा शोधार्थी के मन में ऐसा भाव आया ओर वे अध्ययन के लिए उपयुक्त समस्या का चयन किया।

संबंधित साहित्य का अध्ययन:

हाल के वर्षो में महिला उत्पीड़न उन्मूलन से संबंधित विभिन्न पहलूओं पर कई महत्वपूर्ण शोध कार्य हुए हैं। इसमें से कुछेक शोध कार्यो पर एक नजर दौराना प्रासंगिक जान पड़ता है। कुमार पवन 2010, अपने अध्ययन के विषय महिलाओं के प्रति बढत्रते अपराध व नैतिक शिक्षा के अययन में स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को नैतिक शिक्षा के माध्यम से कम किया जा सकता है क्योंकि यह संस्थागत संरचना व सामाजिक परिवेश से जुड़ा है।

पूनम खन्न 2011, अपने अध्ययन के विषय महिलाओं के यौन उत्पीड़न उन्मूलन में न्यायपालिका एवं नैतिक शिक्षा की भूमिका के अध्ययन में नैतिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपचारक व प्रेरक युक्ति माना है।

कुमारी अल्का 2012, अपने अध्ययन के विषय महिलाओं के विरूद्ध घरेलु हिंसा व विद्यालयी उत्पीड़न का समाजशास्त्रीय अध्ययन के निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वच्छ समाज की स्थापना के लिए नैतिक शिक्षा के माध्यम से हिंसा व उत्पीड़न को कम किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. नौतिक शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना।
2. उत्पीड़न के स्वरूप का अध्ययन करना।
3. महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणाओं का अध्ययन करना।

नैतिक शिक्षा का महत्व:

अपराध व उत्पीड़न उन्मूलन में नैतिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नौतिक और मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण होने पर सरकार को अपराध नियंत्रण पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। समाज के नैतिक पतन का सीधा सा संबंध शिक्षा से जुड़ा है। यानि नैतिक पतन के लिए हमारी शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की यह प्रमुख व्यवहार का परियय दिया जाना चाहिए कि उसको यह प्राप्त करने में असफल रही है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भौतिकता की अधिकता है और नैतिक मूल्यों का अभाव है। शिक्षा ही मानवीय और नैतिक मूल्यों की स्थापना का सशक्त माध्यम है।

शिक्षा का दर्शन नैतिक और मानवीय होना चाहिए वही वर्तमान में दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिकता का इतना अभाव है कि समाज में नागरिक ही, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न, शोषण भेदभाव आदि से समाज को डुबा रहे है। यह एक सीमा तक सही है कि हम रोजगार परक शिक्षा से डाॅक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी तैयार कर रहे है वही घातक पहलू यह भी है कि बदले व्यक्तिगत स्वरूप पाशविकता ने हमारे अपने पौराणिक संस्कार और समाज के मूल्यों को गर्त में ले जा रहे है। बदलते परिवेश में जरूरत है ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो पूर्णतया शोषण मुक्त और न्यायसंगत समाज का निर्माण करने में सहायक हो। यह लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है जब

www.ignited.in

स्कूल और कॉलेज में नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। स्मरणीय यह भी है आज से करीब 25 साल पहले तक नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। समाज का उद्देश्य शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता का विकास भी था। हम अपने वेदों और पुराणों में वर्णित शिक्षा के प्रकार पर विचार करें तो पाएंगे कि उनमें वर्णित शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना था मात्र जीविका के लिए नहीं और शायद यही कारण था कि ऐसी शिक्षा से उत्पन्न हुई पीढ़ी नैतिक मूल्यों से सुसज्जित समाज का निर्माण करती थी। जिस देश का विद्यार्थी नैतिक मूल्यों से विहिन होगा तो एसे देश का कभी विकास नहीं हो सकता। शरीर विज्ञान के अनुसार नैतिकता पर आधारित चरित्रवान व्यक्ति का मानसिक संतुलन सदैव बना रहता है। इसलिए स्कूल कॉलेज में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किए जाने की जरूरत है। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा अनिवार्य करने से छात्रों में राष्ट्रीय चरित्र विकसित होगा, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। आदर्श चरित्र निर्माण ही राष्ट्र की रीढ़ है। इसलिए बच्चों को सदाचारी और जिम्मेदार जीवन जीने की शिक्षा दी जानी चाहिए न कि सिर्फ आजीविका कमाने की यह भी जानना कि नैतिक मूल्यों का विस्तार व्यक्ति से समाज राष्ट्र व विश्व तक और जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। व्यक्ति परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र से मानवता तक नैतिक मूल्यों की यात्रा होती है। ऐसे में सामाजिक जीवन के तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याओं की चुनौतियों से निपटने के लिए और नवीन और प्राचीन के मध्य स्वस्थ अन्तःक्रिया को कैसे नैतिक शिक्षा के साथ संभव बनाए, यह प्रयास किया जाना चाहिए।

उत्पीड़न के स्वरूप:

नैतिक शिक्षा सामाजिक अवसादों के उन्मूलन में औषधि का पर्याय है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न मौजुदा समय में लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से जो आंकड़े निकलकर सामने आये हैं वो दिन दहलानेवाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में एक महिला अपने जीवन काल में कभी-न-कभी यौन या फिर मानसिक उत्पीड़न की शिकार हुई है। महिलाएँ हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।

भारत को दुनियाँ उसकी संस्कृति और शालीनता के कारण पहचानती है लेकिन जिस भारत में महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है वहीं उनके खिलाफ उत्पीड़न व हिंसा के आंकड़े गंभीर स्थिति में पहूँच चुके है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2007 से 2012 के बीच महिला अपराध संबंधी जारी आंकड़े के मामले 83% बढ़े हैं, उत्पीड़न के मामले 119% की बढ़ोतरी हुई है, बलात्कार के मामले की संख्या 83% बढ़ी है, पारिवारिक हिंसा 45% बढ़ी है। ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति किस हद तक खराब हो चुकी है।

नैतिकता का विकास शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य है। प्राचीन व मध्ययुगीन भारत में धर्म, संस्कृति व शिक्षा परस्पर एक दूसरे के पर्याय रहें है। अतः इस सार्वभौमिक उद्देश्य की प्राप्ति होती रही। प्राचीन भारत में शिक्षा द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि धर्म का तात्पर्य कर्त्तव्य या आचरण से है। जिससे व्यक्तियों में सहज त्याग वृत्ति उत्पन्न होती थी जो नैतिकता का सबब आधार था।

21वीं सदी के भारत में तकनीकी प्रगति और महिला उत्पीड़न दोनों की गति में बढ़ोत्तरी हुई है। नित नये उत्पीड़न के तरीके बन रहें है। महिलाएँ शिकार बन रही है। घर, शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल भी सुरक्षित नहीं है। महिला उत्पीड़न अब एक मुद्दा बन चुकी है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला हमारे समाज की प्रमुख इकाई है, फिर भी समाज के द्वारा दी गई हर तरह की क्रूरता को सहन करना पड़ता है। घरेलु हिंसा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न को बढ़े स्तर पर, आधुनिक जनसंचार व इतिहास के पन्नों में साफ देखा जा सकता है।

महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणा:

"उत्पीड़न के स्वरूप व दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक महिला के प्रति पुरूष व समाज की धारणा में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया उसकी शारीरिक भिन्नता को उसकी दुर्बलता मान लिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप समाज की मानसिकता में महिलायें निर्बल हो गई, पुरूष इन्हें प्रशाधन का साधन मानने लगे और वे भोग्या के रूप में उभरी। उनके अंदर असुरक्षा का भाव इतना भर दिया गया जिसका अस्तित्व वर्तमान में भी संपूर्ण नारी जाति में विद्यमान है। महिला की महत्ता कथाओं व पुराणों में चाहे कितनी भी क्यों न हो लेकिन समाज में महिलाओं को वह प्रतिष्ठा व सम्मान नहीं मिला जो पुरूश को प्राप्त है। परिणाम स्वरूप अधिकांश महिला समाज में कठपुतली बन गई और उत्पीड़न का शिकार होती रही कुंठित होकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है।

भारत में महिलाओं के स्वरूप की अवधारणा आज भी पारस्परिक मान्यताओं पर आधारित है। सैद्धांतिक रूप से एक ओर महिला को पूज्य बताया गया है जैसा कि मनु ने कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते है-

"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता"

दूसरी ओर पारम्परिक रूप से पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत महिला को सदैव नीचे दिखाया गया। भारत में ब्रिटिश शासन काल तक स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, सामाजिक प्रथा, परम्परा और शासन व्यवस्था उत्तरदायी थी। अंग्रेजी शासकों ने स्वेच्छा से सामाजिक विधानों में बाधा पैदा करने को कोशिश नहीं की।

19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कुछ भारतीय समाज सुधारकों यथा राजाराम मोहन राय, केशव चन्द्र सेन, दयानंद सरस्वती तथा महात्मा गाँधी आदि के प्रयत्नों से महिला उत्पीड़न से संबंधी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों ने स्त्रियों को न केवल शिक्षा, रोजगार तथा राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान किये है। बल्कि महिलाओं के शोषण को भी कम किया है तथा उन्हें अपने संगठन बनाने के अवसर प्रदान किए हैं, जिनसे वे अपनी समस्याओं में अधिक रूचि ले सकें।[1]

वास्तविकता यह कि उन्नति व विकास के आयाम बढ़े हैं तो साथ में महिला उत्पीड़न की गतिविधि भी बढ़ी है। पुरूष वादी सोच आज भी नारी को गंधारी के रूप में देखना पसंद करता है।

सामान्यतः बात जब उत्पीड़न की उठती है तो इसमें हम मारपीट, प्रताड़ना, मिथ्यारोपन, परेशान करना, हत्या के प्रयास और हत्या आदि शामिल करते हैं। परन्तु जब यह उत्पीड़न से महिला उत्पीड़न में संदर्भित हो जाता है तो इसमें अनेक नवीन आयाम सहज ही जुड़ जाते हैं। यथा बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, छेड़छाड़, अपहरण, दैहिक शोषण, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, पर्दाप्रथा, मारपीट और दहेज उत्पीड़न आदि। ये संदर्भ महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा स्थापित करने में चुनौती के रूप में काम करते है। उत्पीड़न के स्वरूप् पर विचार करते है तो पारिवारिक अत्याचार और दहेज उत्पीड़न, परिवार में महिलाओं पर अत्याचार, पत्नी की पिटाई, दुव्र्यहार, भावप्रवण अत्याचार और इस प्रकार के अन्य व्यवहार को उत्पीड़न के रूप में दृष्टिगोचर होता है। गौरतलब है कि आजाद भारत में भी महिलाएँ दिन प्रतिदिन उत्पीड़न का शिकार हो रही है।

निष्कर्ष:

नैतिक शिक्षा सामाजिक अवसादों के उन्मूलन में औषधि का पर्याय है, क्योंकि जबतक व्यक्ति के अन्दर मानवीय सद्गुण की चेतना जागृत नहीं होगी प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह महिला या पुरूष सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जायेगा। समाज में स्वस्थ्य संतुलन स्थापित नहीं होगी। कानून और कठोर सजा ही एक मात्र विकल्प नहीं है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की जब तक व्यक्ति के मन व दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आयेगा महिलाओं के प्रति उत्पीड़न नहीं रूकेगा। अतः हमें मूलरूप से नैतिक शिक्षा के माध्यम से समाज में स्वस्थ्य वातावरण कायम करना होगा महिला के महत्वपूर्ण स्थिति को कायम करना होगा तभी कल्याणकारी भारत का निर्माण होगा जो मानवीयता व विकास का आधार होागा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. गुप्ता एवं शर्मा-भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र।
2. पाठक पी. डी.-भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ।
3. आहूजा राम - भारतीय सामाजिक व्यवस्था।
4. कोठारी ममता - शिक्षा और समाज।
5. हुसैन प्रो. मुस्तफा - समाजशास्त्र एक परिचय।

Corresponding Author

Priya Ranjan*

Research Scholar, Sociology, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur